

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 1009/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

सुप्रीम हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- द्वितीय तल, हर्ष भवन, 13/29, ई-ब्लॉक,
मिडिल सर्किल, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री ज्ञानी राम पुत्र श्री झूथा राम,
2. श्रीमती हरफूल देवी पत्नी श्री ज्ञानी राम,
पता:- बैरवा का मोहल्ला, सुनाड़िया, जयपुर।
3. श्री ओम प्रकाश बैरवा पुत्र श्री बिरदीचंद,
पता:- बैरवा का मोहल्ला, सुनाड़िया, जयपुर।
एवं मार्बल कान्ट्रेक्टर, ग्राम सुनाड़िया, दूदू, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 31.08.2018 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हरफूल देवी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा संख्या 28, ग्राम सुनाड़िया, ग्राम पंचायत सुनाड़िया, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 94.88 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 03,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 03,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त

470
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी दिवसीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दस्तूरी के लिए बकाया ऋण राशि 02,85,561/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अर्धीन नॉटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नॉटिस का दिवसीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा दिवसीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दस्तूरी योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिवसीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत दिवसीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का नौतिक कब्जा दिलाये जाने का सार्व प्राधान्य है। प्रतिकृत अधिकारी ने धारा 14 के सम्बन्ध में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी दिवसीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हरश्रुत देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा संख्या 28, ग्राम सुनादिया, ग्राम पंचायत सुनादिया, पंचायत समिति टूट्टु, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 94.88 वर्गगज का नौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी दिवसीय संस्था द्वारा जरूरी सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस ठगवटका जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी दिवसीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर दिवसीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं भारतना रिपोर्ट मित्रदान हेतु बाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व टोकलर हो।

आदेश आज दिनांक 24.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

३४
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला नजिस्ट्र
(कलक्टर) जयपुर